सत्यमेव जयते	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	सधिकार प्रकाशित	Published by Autfionty
	चैत्र 20, सोमवार, शाके 1928–अप्रेल 10, 2006 Chaitra 20, Monday, Saka 1928-April 10, 2006	

भाग 4 (क)
राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप–2)
अधिसूचना
जयपुर, अप्रेल 9, 2006

संख्या प. 2 (9) विधि/2/2006–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 अप्रेल, 2006 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
(2006 का अधिनियम सं. 8)

(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 9 अप्रेल, 2006 का प्राप्त हुई)

राजस्थान राज्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सतावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:–

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तकनकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 है।
(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।
(3) यह 31 दिसम्बर, 2005 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

*2. परिभाषाएं– इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–
(i) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की धारा 24 के अधीन यथागठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है।
(ii) ''सम्बद्ध महाविद्यालय'' से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है;

(iii) ''अ. भा. त. शि. प.'' से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 52) के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;

(iv) ''प्राधिकारी'' से इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(v) ''बोर्ड'' से विश्वविद्यालय की धारा 22 के अधीन यथागठित प्रबन्ध बोर्ड अभिप्रेत है;

(vi) ''निकाय'' से संबंधित प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये विश्वविद्यालय के निकाय अभिप्रेत है;

(vii) ''सहयोग'' से विश्वविद्यालय की अन्य विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं (स्थानीय क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय), अनुसंधान संस्थाओं और संगठनों (अनुसंधान, कृषि, अद्योग, व्यापार और वाणिज्य) के साथ सहयोगी शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(viii) ''घटक महाविद्यालय'' से ऐसा महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो तकनीकी शिक्षा देती है और विश्वविद्यालय द्वारा चलायी और संधारित की जाती है और इसमें विश्वविद्यालय का कोई संकाय सम्मिलित है;

(ix) ''संकायाध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(x) ''विभाग'' से विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, संधारित और प्रबन्धित कोई विभाग अभिप्रेत है;

(xi) ''निदेशक'' से किसी केन्द्र को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की किसी संस्था या विद्यापीठ का प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथापदाभिहित प्रधान अभिप्रेत है;

(xii) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

(xiii) ''सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था'' से राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली कोई तकनीकी संस्था अभिप्रेत है;

(xiv) ''संस्था'' से सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाएं और प्राइवेट गैर–सहायता प्राप्त तकनीकी संस्थाएं अभिप्रेत है;

(xv) ''प्रबन्ध से राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 42) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी का न्यासी या प्रबन्ध या शासी निकाय चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है। जिसके प्रबन्ध के अधीन एक या अधिक महाविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्थाएं या अन्य संस्थाएं संचालित की जाती हैं और जिन्हे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये जाते हैं;

(xvi) ''आर्डिनेन्स'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स अभिप्रेत हैं;

(xvii) ''प्राचार्य'' से किसी महाविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त तकनीकी संस्था या प्राइवेट गैर–सहायताप्राप्त तकनीकी संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिप्रेत है;

(xviii) ''गैर–सहायताप्राप्त प्राइवेट तकनीकी संस्था'' से तकनीकी शिक्षा का उपाधि या डिप्लोमा स्तर का पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अ.भा.त.शि.प. के पूर्व अनुमोदन से किसी प्राइवेट प्रबन्ध द्वारा स्थापित कोई ऐसे संस्था अभिप्रेत है जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रही है;

(xix) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के विनियम अभिप्रेत हैं;

(xx) ''परिनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;

(xxi) ''अध्यापक'' से शिक्षा देने या अनुसन्धान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यताप्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;

(xxii) *''तकनीकी शिक्षा'' से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंध, नगर योजना, कम्प्यूटर उपयोजन और अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्प और ऐसे अन्य कार्यक्रमों, जो अ.भा.त.शि.प. द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किये जायें में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत है;

(xxiii) ''तकनीकी संस्था'' से तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं अभिप्रेत है;

(xxiv) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(xxv) ''विश्वविद्यालय अध्यापक'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई अध्यापक अभिप्रेत है।

*** 2 – 2006 के राजस्थान अधिनियम संख्या 8 की धारा 2 का संशोधन : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियक 2006 (2006 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 2 के खण्ड (xxii) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नगर योजना'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''कम्प्यूटर उपयोजन'' के पूर्व आयी हुई विद्यमान अभिव्यक्ति ''फार्मेसी'', हटायी जायेगी। यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2010 का विधेयक सं.6**

अध्याय 2
विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन.–(1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते है, ''राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय'' के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अन्तरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगाः

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अन्तरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय कोटा में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.– विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देशय होंगे, अर्थातः–

(i) सामान्यता अध्यापन, प्रशिक्षण, अनुसंधान के द्वारा मानवता और समझदारी की अभिवृद्धि के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार, सृजन और अनुरक्षण करना और विशिष्टतयाः–

(क) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध और अन्य तकनीकी संस्थाओं के समग्र गुणवत्ता और लागत प्रभावी प्रबन्ध को प्रोन्नत करना;

(ख) उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान की मांग को पूरा करने के लिए राज्य में तकनीकी शिक्षा का तंत्र उपलब्ध कराना;

(ग) तकनीकी शिक्षा के लिए निर्णय करने और सूचना प्रणालियों के वैज्ञानिक उपस्करों पर आधारित प्रबन्ध की प्रणाली सृजित करना;

(ii) पाठ्यक्रम में अनुप्रयुक्त संघटकों के माध्यम से कार्य संस्कृति का विकास और श्रम की गरिमा को प्रोन्नत करना और छात्रों में उद्यमशींलता को प्रोन्नत करना जिससे तकनीकी शिक्षा को रोजगार चाहने वालों का सृजन करने के बजाय रोजगार सृजन का सबल साधन बनाया जा सके;

(iii) विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के बीच सभी साधनों द्वारा बेहतर परस्पर क्रिया और समन्वय को प्रोन्नत करना, सामान्यतया विश्वविद्यालय के शासन और तकनीकी शिक्षा में उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं में सुधार करना;

(iv) समाज के कमजोर वर्गो के बीच आत्मसम्मान और गरिमा की भावना जाग्रत और प्रोन्नत करना;

(v) छात्रों से संबंधित समस्त शैक्षणिक और अन्य मामलों में एकमात्र मार्गदर्शक मानदण्ड के रूप में प्रतियोगी गुणागण और उत्कर्ष के प्रोन्नयन का प्रयास करना;

(vi) अपने शैक्षणिक उत्कर्ष की सीमाओं का ग्रामीण, रेगिस्तानी, जनजाति और पिछडे श्रेत्रों में विस्ताार करना;

(vii) नवाचार और सृजनशीलता को बढावा देने की दृष्टि से उच्च राष्ट्रीय प्रासंगिकता के क्षेत्रों में विकासित प्रौद्योगिकी के केन्द्र स्थापित करना।

5. **विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.**– विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(i) अनुसंधान और ज्ञान की समन्नुति और प्रसार के लिए उपबन्ध करना और सामान्यतया तकनीकी शिक्षा और अध्ययन और संस्कृति की विभिन्न शाखाओं और उनके अन्तर शाखा क्षेत्रों का संवर्धन और प्रोन्नयन करना;

(ii) विश्वविद्यालय निवेश में अन्तर विश्वविद्यालय केन्द्रों, अनुसंधान प्रयोगशालाएं, आधुनिक उपकरण केन्द्र जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ. भा. त. शि. प. द्वारा स्थापित इसी प्रकार के विद्या केन्द्रों की स्थापना का उपबन्ध करना जिनका उपयोग किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों या उद्योगों के किसी समूह या किसी गैर–सरकारी संगठन द्वारा किये जा सके;

(iii) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाओं या परीक्षणों का संचालन करना और उनके संबंध में शर्ते अधिकथित करना;

(iv) परीक्षाओं या अन्य परीक्षणों के आधार पर या अन्यथा उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमे, उच्च माध्यमिकोत्तर डिप्लोमें, प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(v) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमें और उच्च माध्यमिकोत्तर डिप्लोमें और प्रमाणपत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी उपाधियां प्रदान करना जिन्होंने–

(क) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है; या

(ख) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों या संस्थाओं में अनुसंधान किया है;

(vi) परिनियमों में विहितानुसार सम्मानिक उपाधियां अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;

(vii) पाठ्यक्रमों या महाविद्यालयों की सम्बद्धता की और प्रबन्ध की विश्वसनीयता को ध्यान में रखकर संस्थाओं की मान्यता की शर्ते अधिकथित करना और संस्थाओं, संकायों और विषयों के शिक्षा सम्बन्धी संपादन के सन्नियम जो समय–समय पर अधिकथित किये जायें और स्वयं का कालिक निर्धारण द्वारा या अन्यथा यह समाधान करना कि उन शर्तो को पूरा किया जाता है;

(viii) किसी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अ. भा. त. शि. प. द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों, यदि कोई हो, के अनुसार स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय विभाग, घटक महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या यथास्थिति संस्था के रूप में पदाभिहित करना;

(ix) सम्बद्धता और कालिक प्रत्यायन के लिए सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं के शैक्षणिक सम्पादन को मानीटर करना और उसका मूल्यांकन करना;

(x) जहां कहीं भी आवश्यक हो सम्बद्ध महाविद्यालयों और मान्यताप्राप्त संस्थाओं का तत्प्रयोजन के लिए स्थापित समुचित तंत्र के माध्यम से निरिक्षण करना और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करना कि उनके द्वारा शिक्षा, शिक्षण और प्रशिक्षण का समुचित स्तर बनाये रखा जाता है और पर्याप्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अस्पताल, कार्यशाला और शैक्षणिक प्रसुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती है;

(xi) न्यासो और विन्यासों को धारित और प्रबंधित करना और विश्वविद्यालय और महोविद्यालयों के अध्यापकों और छात्रों के लिए अध्येतावृत्तियां, यात्रा अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्ति पदक और पुरस्कारों को संस्थित और प्रदार करना;

(xii) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए किसी भी अन्य विश्वविद्यालय, संस्था, प्राधिकारी या संगठन से सहकार या सहयोग करना और ऐसे प्रयोजनो के लिए कतिपय पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं, प्राधिकारियों या संगठनों से ऐसे समुचित ठहराव करना जो परिस्थितियों में अपेक्षित हों;

(xiii) महाविद्यालयों को दी गयी सम्बद्धता का विखण्डन करना;

(xiv) अनुसंधान और विकास, परामर्शी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे खोजी या नवाचारी क्रियाकलापों द्वारा और उद्योग, व्यापार या किसी अन्य गैर–सरकारी संगठनों के विभिन्न मुवक्किलों को सेवाएं देकर विश्वविद्यालय के संसाधनों में वृद्धि की संभावनाओं की खोज करना;

(xv) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अध्यधीन रहते हुए, राज्य सरकार के अनुमोदन से विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ शैक्षणिक सहयोगी कार्यक्रमों को हाथ में लेना;

(xvi) सहयोगी कार्यक्रमों के लिए विदेशी एजेन्सियों से, उस संबंध में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के किसी भी अधिनियम, नियम और विनियम के अध्यधीन रहते हुए निधियां प्राप्त करना;

(xvii) विश्वविद्यालय अध्यापकों के लिए आचार संहिता, कार्यभार, संपादन मूल्यांकन के सन्नियमों को सम्मिलित करते हुए सेवा की शर्तें और ऐसे अन्य अनुदेश या निदेश अधिकथित करना जो विश्वविद्यालय की राय में शैक्षणिक स्तर के हित में आवश्यक हों;

(xviii) तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान, परामर्श आधारित परियोजनाओं के विकास कार्यक्रम और संसाधन जुटाने की दृष्टि से फीस प्रभारित करके बाहरी एजेन्सियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लेना;

(xix) ऐसी फीस और अन्य प्रभार नियत करना, मांगना और प्राप्त या वसूल करना जो परिनियमों द्वारा समय–समय पर विनियमित किये जायें;

(xx) विभिन्न विभाग स्थापित, संधारित और प्रबन्धित करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों;

(xxi) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जो उसके समस्त या किन्ही भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या सहायक हों;

(xxii) विश्वविद्यालय की उपर्युक्त शक्तियों, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के प्रतिनिदेश से राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों की अनुपालना करना और उनको कार्यान्वित करना।

6. अधिकारिता –(1) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की अधिकारिता का प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा और समस्त तकनीकी संस्थाएं, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के अनुसार, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध होंगी।

(2) राज्य सरकार लिखित आदेश द्वारा –

(क) विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से, विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालयजन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय या निकाय से सम्बद्ध

किया जाना या विशेषधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय का विशविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रगणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई अन्य सम्पतियाँ तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेगी और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होगा – विश्वविद्यालय जाति, वर्ग पंथ या लिंग पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा :

परन्तु विश्वविद्यालय –

(i) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को निर्बन्धित कर सकेगाः

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, छात्राओं और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा।

****8. निरीक्षण** – (1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,–

(क) विश्वविद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था या छात्रावास का; या

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

(2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्यिों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

(3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

(4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय सीमा नियत कर सकेगा/सकेगी।

(5) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर–भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर–भीतर कार्यवाही नहीं करता है या यदि कुलधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर सकेगा/सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

(7) यदि विश्वविद्यालय, उप–धारा (6) के अनुसार जारी किये गये निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर–भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो उसके व्ययों के लिए आवश्यक हो।''।

****8 – 2006 के राजस्थान अधिनियम संख्या 8 की धारा 8 का संशोधन : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियक 2006 (2006 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर उक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया। यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2013 का विधेयक सं.26**

3. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं.8 की धारा 11 का संशोधन.– मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

अध्याय 3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी – विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(i) कुलाधिपति;
(ii) कुलपति;
(iii) प्रतिकुलपति;
(iv) वित्त अधिकारी;
(v) कुल–सचिव;
(vi) परीक्षा नियंत्रक;
(vii) संकायों के संकायाध्यक्ष;
(viii) सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;

(ix) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

10. कुलाधिपति–(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर उसके दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) कोई भी सम्मानित उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाएं या अभिलेख प्रस्तुत करे जिनकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा प्रदत्त की जायें।

***11. कुलपति** –(1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कोई भी व्यक्ति कलुपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नही हागा जब तक वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अुनभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है।

(3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा–

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एंक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असम्बद्ध उच्चतर शिक्षा का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

(5) खोजबीन समिति कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और सिफारिश करेगी।

(6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए, खोजबीन समिति किसी लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को, उचित महत्व देगी और इसके निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ रखेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगीः

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा उप–धारा (3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा उप–धारा (10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद कोई अस्थायी रिक्ति, छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप–धारा (9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुलसचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के, राज्य–विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा निर्वहन के लिए इंतजाम करेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय पद का त्याग, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार मुक्त होने का इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी

रख सकेगा जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगाः–

(क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टीः

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्णवैतनिक में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

*****11. – 2006 के राजस्थान अधिनियम संख्या 8 की धारा 11 का संशोधन : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियक 2006 (2006 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 11 के स्थान पर उक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया। यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2018 का विधेयक सं.9**

12. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण नियंत्रण का प्रयोग करेगा और विश्वविद्यालय में सम्यक अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति, इस अधिनियम और परिनियों और आर्डिनेन्सों के उपबंधो का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिउ आवश्यक हो।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप–धारा (6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिन के भीतर–भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा

(8) पूर्वोक्त के अध्यधीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशो को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित की जायें।

13. प्रतिकुलपति. –(1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे तो, विश्वविद्यालय के आचार्यो में से किसी को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तब्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तब्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसादानुसार पद धारित करेगा।

(4) प्रतिकुलपति एक हजार रूपये प्रति मास का मानदेय प्राप्त करेगा।

(5) प्रतिकुलपति, कुलपति का ऐसे मामलों में सहयोग करेगा जो कुलपति द्वारा समय–समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें।

14. कुल–सचिव.–(1) कुल–सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल–सचिव विश्वविद्यालय का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल–सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(4) कुल–सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखो और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा। वह उसके समक्ष ऐसी सूचनाएं रखेगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जायें।

(5) कुल–सचिव ऐसे अन्य कर्तब्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें या कुलपति द्वारा समय–समय पर जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

15. वित्त –अधिकारी.–(1) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा अधिकारी होगा। वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

7(20) राजस्थान राज–पत्र, अप्रेल 10, 2006 भाग 4 (क)

(4) वित्त अधिकारी–

(i) विश्वविद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों और विनिधानों का प्रबंध करेगा।

(iii) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद (जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक में रखेगा।

(iv) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नही किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;

(v) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी परिनियम के निबंधनों का उल्लघं करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और

(vi) धारा 35 के उपबंधो का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

16. परीक्षा नियंत्रक.—(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आर्डिनेन्सों में इस निमित्त किये गये उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा । वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह उेसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिए आबद्ध होगा जा उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तब्यों का निर्वहन भी करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनके बोर्ड या कुलपति द्वारा समय—समय पर अपेक्षा की जाये, किन्तु वह इस उप—धारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षण में अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों पर भी उसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में उसे कुल—सचिव की समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यधीन रहते हुए, परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य समस्त इंतजाम करेगा और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगां

(6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश पर ही अन्यथा नहीं, न तो पारिश्रमिक दिया जायेगा और नही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो जो पद के समस्त कर्तब्य परीक्षा नियंत्रक के पुनः पद ग्रहण करने, यथास्थिति, रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

17. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.—(1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थातः—

(i) सम्पदा अधिकारी, और

(ii) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष

(2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

(3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तब्य निम्नलिखित होंगे, अर्थातः–

(क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना;

(ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;

(ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनुसार छात्रों के लिए व्यवस्था करना;

(घ) छात्रों के पाठ्येत्तर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना;

(ड़) विश्वविद्यालय के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और

(च) विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

18. संकायों के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य–(1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

(2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये।

19. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.– धारा 9 के खण्ड (ix) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

20. अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का पाश्रिमिक.– विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए, परिनियमों में जैसा उपबंधित किया जाये उसके सिवाय, कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

अध्याय 4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी:– विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :–

(i) प्रबंध बोर्ड;
(ii) विद्या परिषद्;
(iii) वित्त समिति;
(iv) परीक्षा समिति;
(v) संकाय;

(vi) अध्ययन बोर्ड;

(vii) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

22. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना.– (1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क) अध्यक्ष :–

विश्वविद्यालय का कुलपति।

(ख) पदेन सदस्य :–

(i) शासन सचिव, वित्त विभाग;

(ii) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग,

(iii) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार;

(iv) विश्वविद्यालय का कुल सचिव, सचिव।

स्पष्टीकरण.–(i) से (ii) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

(ग) नामनिर्देशित सदस्य :–

(i) कुलसचिव द्वारा संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

(ii) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्;

(iv) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

(v) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामिनिर्देशित किये जाने वाले राज्य विधान– मंडल के दो सदस्य, और

(vi) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद्।

(घ) निर्वाचित सदस्य :–

विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों यदि कोई हों; के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यें, संकायाध्यक्षों, घटक महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते है, उसके ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक

जनवरी को राजस्थान में उच्चतर तकनीकी शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

(2) बोर्ड के एक–तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम मे उपबंधित हैं या परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भत्ते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेगा।

(5) बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

23. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.– इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय का बजट अनुमोदित और मंजूर करना;

(ख) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियां अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से किसी भी जंगम व स्थावर सम्पत्ति का अंतरण स्वीकार करना;

(घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय व व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों को प्रशासन करना;

(ड) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;

(च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों को ऐसी रीति से नियुक्त करना जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें;

(छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;

(ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उसके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझें;

(झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;

(ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझें, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार अयोजित की जायेगी;

(ट) विश्वविद्यालय के सुचारू कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाना; और

(ठ) विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त मामलों का इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमन और अवधारण करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

24. विद्या परिषद्,–(1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(i) कुलपति–पदेन अध्यक्ष;

(ii) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(iii) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;

(iv) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य/निदेशक;

(v) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;

(vi) निदेशक, तकनीकी शिक्षा;

(vii) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(viii) संबंद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;

(ix) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हो, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;

(x) घटक महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला आचार्यें से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;

(xi) संबद्व महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और

(xii) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव, सदस्य–सचिव।

(2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

(3) विद्या परिषद् के एक–तिहाई सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी

25 वित्त समिति,–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे :–

(i) कुलपति–अध्यक्ष;

(ii) शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग;

(iii) शासन सचिव, वित्त विभाग;

(iv) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(v) विश्वविद्यालय का कुल–सचिव;

(vi) परीक्षा नियंत्रक;

(vii) वित्त अधिकारी, जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उप–धारा (i) के खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्वयं होने के बजाय, अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे अधिकारी को नामनिर्देशित कर सकेगा जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।

(3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलो पर बोर्ड को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और स्त्रोतों को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी और किन्हीं भी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रकार नियत सीमाओं का पुनरीक्षण कर सकेगी और नियत सीमाएं बोर्ड पर बाध्यकारी होंगी।

(4) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जाये।

26. संकायों की संरचना और कृत्य,–(1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(i) संकाय का संकायाध्यक्ष–अध्यक्ष;

(ii) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;

(iii) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;

(iv) संबद्ध महाविद्यालयों से, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नानकोत्तर विभागाध्यक्ष;

(v) विद्या परिषद् द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

(3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

27. परीक्षा समिति,– (1) विश्वविद्यालय मे एक परीक्षा समिति होगी, जसका गठन ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों में उपबंधित किया जाये।

(2) समिति, अनुसीमन और सारणीकरण को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का साधारणतया पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्य करेगी, अर्थात् :–

(i) परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ii) विश्वविद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उस पर विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(iii) परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;

(iv) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति इतनी उप–समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे, और विशिष्टतया किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों या उप–समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने और उनका विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, परीक्षा समिति के लिए या, यथास्थिति, उप–समिति या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उप–धारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

28. विश्वविद्यालय का अध्यापन.–(1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों या संस्थाओं मे संचालित किये जायेंगे।

(2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो आर्डिनेन्सों द्वारा विहित किये जायें।

(3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेन्सों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

29. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध,–(1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र, नियुक्ति, नामनिर्देशिन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस पकार वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, नामनिर्देशित यो निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

(2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

(3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यो में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया हैः

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप–धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे बोर्ड द्वारा यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर विचार नहीं कर लिया गया होः

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरूद्ध ऐसी कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

(4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

30. विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों और निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.– विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में कसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नही ंपाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

31. सेवानिवृति की आयु.– परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्ही भी निदेशों या नीति के अध्यधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

32. पेंशन या भविष्य निधि – (1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों में विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

(2) परिनियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोदभूत सेवा फायदे मिलें।

33. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी – (1)विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक और अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 (1974का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

(2) परिनियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे।

संविदा संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। संविदा, सेवा की शर्तो के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिनियमों के उपबंधो से असंगत नही होगी।

34. विश्वविद्यालय निधि.–(1) विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय निधि' के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबन्ध करेगा।

(2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात् :–

(i) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंश्दान या अनुदानः
(ii) विश्वविद्यालय को समस्त स्त्रोतो से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित हैः
(iii) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान यदि कोई होः
(iv) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

(3) ऐसे मामले, जिनमें विश्वविद्यालय निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

(4) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्ययों की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि में से की जायेगी।

(5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

35. राज्य सरकार का नियंत्रण– जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित है वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबन्धनों और शर्तो का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ–साथ

निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो सकेगी, अर्थात् :–

(i) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजनः

(ii) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षणः

(iii) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरीः

(iv) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजनः

(v) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरणः

(vi) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करनाः

(vii) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण– पूर्वोक्त शर्ते किसी भी अन्य निधि से सृजित पदो के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

$$ 36. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा–

(1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर आबद्धकर होंगे।''।

$$ 36 – 2006 के राजस्थान अधिनियम संख्या 8 की धारा 36 का संशोधन : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियक 2006 (2006 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 36 के स्थान पर उक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया। यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2013 का विधेयक सं.26

37. परिनियम – इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा :–

(i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्त्तव्यः

(ii) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो:

(iii) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्त्तव्य और सेवा शर्तें:

(iv) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं:

(v) विश्वविद्यालयके अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेन्शन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन:

(vi) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना:

(vii) विभागो की स्थापना, समामेलन, उप–विभाजन और समाप्ति:

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और उनकी समाप्ति:

(ix) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यहालय निधि का भाग होगी और उसमें संदत्त की जायेगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी:

(x) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओ और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना:

(xi) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा एवं दैनिक भत्ते भी सम्मिलित है और:

(xii) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा या जो आर्डिनेन्सों या विनियमों से अन्यथा विहित किये जा सकेगे।

38. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे –(1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित या निरसित किये जा सकेगें।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा।

(3) बोर्ड, यदि वह आवश्यक समझे तो, किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्राप्त कर सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उस बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नही होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा उसके लिए अनुमति न दे दी जाये।

(6) पूर्ववर्ति उप–धाराओं में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्ररेणा से या राज्य सरकार की सलाह पर, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निर्देश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निर्देश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर–भीतर कियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निर्देश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, परिनियम बना सकेगा या उन्हे समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

39. आर्डिनेन्स –इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहतु हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्ही भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात :–

(i) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्ते :

(ii) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तो को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन :

(iii) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या निवास के अन्य स्थान में निवास करने के लिए शर्ते, उनके लिए प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले :

(iv) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षणः

(v) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य मामला जिस पर विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन कार्यवाही की जानी है।

40. **आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे** –(1) बोर्ड इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरस्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसका कोई प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप–धारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप का संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्ही भी संशोधनों के साथ जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुर्नविचार के लिए विद्या परिषद को लौटा सकेगा।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निर्दिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर–भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर–भीतर उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निर्देश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह, प्रबंध बोर्ड की टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

41. विनियम–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगाः

(i) अपनी बैठकों में अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करनेः

(ii) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं और

(iii) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित और जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्स द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को, बैठकों की तारीख का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में, ऐसे रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निर्देश दे सकेगा।

42 छात्रों का निवास स्थान – छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास–सुविधा में, आर्डिनेन्सों के द्वारा विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निवास करेंगें।

43 शक्तियों का प्रत्यायोजन– बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, प्रयोग में लाये जाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

44 वार्षिक रिर्पोट– विश्वविद्यालय की वार्षिक रिर्पोट कुलपति के निर्देश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व परिचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा–अनुमोदित वार्षिक रिर्पोट राज्य विधान–मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

##45. लेखे और संपरीक्षा :– (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन पत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेगें और किसी भी स्त्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भुत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशिया और संवितरित या संदत्त समस्त रकमो की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) वित्त अधिकारी, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों में विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए विश्वविद्यालय का बजट तैयार करेगा।

(3) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये गये विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और बजट वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे वित्त अधिकारी को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्यवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जाये।

45 – 2006 के राजस्थान अधिनियम संख्या 8 की धारा 45 का संशोधन : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियक 2006 (2006 का अधिनियम सं.8), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 45 के स्थान पर उक्तानुसार प्रतिस्थापित किया गया। यह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 2013 का विधेयक सं.26

46 अस्थायी व्यवस्था–(1) इस अधिनियम का प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक रूप से गठन नहीं हो जाता, विशविद्यालय के किसी भी अधिकारी को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा।

47 पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना–जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

48. अवशिष्ट उपबंध.–बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्रधिकार होगाा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए अतिम होगा।

49. कठिनाइयों का निराकरण.– (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा–

(i) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकुलनों के, जो चाहे उपांतरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा या

(ii) ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्‌भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत होय

(iii) ऐसी किन्ही भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए एसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझेः

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के बारह मास के पश्चात नही किया जायेगा।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान– मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान– मण्डल का सदन ऐसे किन्ही भी आदेशें में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे काई भी आदेश नही किये जाने चाहिए तो तत्पश्चात एंसं आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नही होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधिन बनाये गये किन्ही भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में की आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किय गया है या होने का हकदार है, काई भी प्रश्न उद्‌भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति, राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

50. निरसन और व्यावृत्तियां.–(1) राजसथान तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2005 (2006 का अध्यादेश सं.1) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त बाते, कार्यवाहियाँ या किये गये आदेश्या इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

गुमान सिंह
शासन सचिव।